# गांजा-भांग से प्रतिबंध हटने की शुरुआत?

भांग का सेवन हमारे देश में तो संस्कृति का हिस्सा है। मगर दुनिया के अधिकांश देशों में भांग और उसके एक अन्य रूप गांजा या मेरिजुआना पर प्रतिबंध है। यहां तक कि गांजा अपने पास रखना भी एक अपराध है। मगर अब यूएस के दो प्रांतों, कोलेरेडो और वाशिंग्टन, ने गांजा (केनेबिस) से प्रतिबंध हटाने के कानून पारित कर दिए हैं और इसे शराब और तंबाकू की श्रेणी में रखने का फैसला किया है।

दुनिया भर में गांजा-भांग पर प्रतिबंध 1971 में लागू किया गया था। गांजा एक ऐसी औषधि है जो मानसिक व शारीरिक असर पैदा करती है। वैसे इसका सेवन मानसिक असर के लिए ज़्यादा किया जाता है। इसकी लत भी लग जाती है। केनेबिस पर प्रतिबंध हमेशा से विवाद का विषय रहा है।

प्रतिबंध के समर्थक मानते हैं कि इससे गांजे के सेवन में कमी आएगी और इसकी वजह से होने वाली समस्याएं भी कम होंगी। मगर अनुभव दर्शाता है कि प्रतिबंध लगाने से पूरा कारोबार गैर-कानूनी हो जाता है और माफिया के हाथों में चला जाता है। इससे गांजा के सेवन में तो बहुत कमी नहीं आती मगर तमाम किस्म की कानून और व्यवस्था की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसके गैर-कानूनी व्यापार पर नज़र रखना खर्चीला भी साबित हुआ है।

दूसरी ओर, प्रतिबंध के समर्थकों का ख्याल है कि इसके बाद गांजा के एक रूप मेरिजुआना का उपभोग बढ़ेगा। मगर अनुभव इस बात के साक्षी नहीं हैं। जैसे 2001 में पुर्तगाल ने सभी प्रकार के मादक पदार्थों पर से प्रतिबंध हटा लिया था और वहां इन पदार्थों की खपत में कोई खास वृद्धि दर्ज़ नहीं हुई थी।

दरअसल प्रतिबंध हटाने के हिमायतियों का ख्याल है कि इससे इस मादक पदार्थ की खपत कम होगी और निगरानी पर होने वाला खर्च कम होगा, सरकारी राजस्व बढ़ेगा। भारत में भांग सरकारी लायसेंस लेकर खरीदी-बेची जा सकती है और इसकी खेती परमिट के तहत होती है। यानी हमारे यहां भांग रखना अपने-आप में कोई ज़ुर्म नहीं है। और यह तो नहीं कहा जा सकता कि हमारे देश में सब लोग सदैव भांग की तरंग में रहते हैं। ***(स्रोत फीचर्स)***


## फॉर्म 4 (नियम - 8 देखिए)

**मासिक स्रोत विज्ञान एवं टेक्नॉलॉजी फीचर्स पत्रिका के स्वामित्व और अन्य तथ्यों के सम्बंध में जानकारी**

| | | |
|---|---|---|
| प्रकाशन | : | भोपाल |
| प्रकाशन की अवधि | : | मासिक |
| प्रकाशक का नाम | : | (अरविन्द सरदाना)<br>निदेशक, एकलव्य |
| राष्ट्रीयता | : | भारतीय |
| पता | : | एकलव्य, ई-10 शंकर नगर<br>बी. डी. ए. कॉलोनी, शिवाजी नगर,<br>भोपाल - 462017 |
| मुद्रक का नाम | : | (अरविन्द सरदाना)<br>निदेशक, एकलव्य |
| राष्ट्रीयता | : | भारतीय |
| पता | : | एकलव्य<br>एकलव्य, ई-10 शंकर नगर<br>बी. डी. ए. कॉलोनी, शिवाजी नगर,<br>भोपाल - 462017 |
| सम्पादक का नाम | : | सुशील जोशी |
| राष्ट्रीयता | : | भारतीय |
| पता | : | एकलव्य, ई-10 शंकर नगर<br>बी. डी. ए. कॉलोनी, शिवाजी नगर,<br>भोपाल - 462 017 |
| उन व्यक्तियों के नाम और पते जिनका इस पत्रिका पर स्वामित्व है | : | (अरविन्द सरदाना)<br>निदेशक, एकलव्य |
| राष्ट्रीयता | : | भारतीय |
| पता | : | एकलव्य, ई-10 शंकर नगर<br>बी. डी. ए. कॉलोनी, शिवाजी नगर,<br>भोपाल - 462 017 |

मैं अरविन्द सरदाना, निदेशक, एकलव्य यह घोषणा करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

अरविन्द सरदाना,
निदेशक, एकलव्य

1 जनवरी 2013